150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालयः–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल. म0प्र0

–::: परिपत्र :::–

क्रमांकः–Q-49 भोपाल, दिनांकः–**20-04-2020**

विषय :– COVID-19 कोरोना वायरस राष्ट्रव्यापी लॉक–डाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य व्यवस्था बाबत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक–Q-36, दिनॉक–14-04-2020 एवं परिपत्र क्रमांक–Q-45 दिनॉक–18-04-2020 एवं परिपत्र क्रमांक–Q-46 दिनॉक–18-04-2020.

****

विषयांतर्गत लॉक–डाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य व्यवस्था हेतु संदर्भित परिपत्रों में दिये गये दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त निम्नानुसार और निर्देश भी दिये जाते हैं ::–

1- मध्यप्रदेश शासन संचलानालय स्वास्थ्य सेवाएँ के ज्ञापन क्रमांक–I.D.S.P./2020-504 भोपाल दिनॉक–20-04-2020 के अनुक्रम में संदर्भित परिपत्र क्रमांक–Q-46 दिनॉक–18-04-2020 में दिये गये Mist Disinfection Tunnel के उपयोग संबंधी निर्देश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने, मास्क लगाकर एवं हाथों को साबुन–पानी से धोकर/सेनेटराईज़्ड करने के बाद ही न्यायालय भवन में प्रवेश करने के संबंध में संदर्भित परिपत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावेगा। इस संबंध में समय–समय पर भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विभिन्न शासकीय संस्थाओं द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित् किया जावे।

sd/-

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल. म0प्र0

क्रमांकः–Q-49 भोपाल, दिनांकः–**20-04-2020**

प्रतिलिपिः–

1– रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

2– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, भोपाल/तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील–बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

3– समस्त न्यायिक अधिकारीगण : भोपाल/बैरसिया की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

4– प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित्।

5– कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6– पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned with CamScanner

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

7— अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8— प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुविभाग जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित, कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर स्थापित उक्त टनल को तत्काल हटा दिया जावे।

9— अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा—भोपाल की ओर समस्त कर्मचारीगण को पालनार्थ सूचित किये जाने हेतु प्रेषित्।

10— संचालक, जन–सम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ, कि सभी दैनिक समाचार—पत्रों में उक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने का कृष्ट करें।

11— प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् की जावे।

12— जिला नाज़िर/नायब नाज़िर सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला—भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ, कि एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

20.4.2020

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
<u>भोपाल, म0प्र0</u>

Scanned with CamScanner